न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0 ए0 एस0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

सीलिंग शिकायत प्रकरण सं0 04/2018

सरकार बनाम सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह चक 7 वी सौकेण्ड तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर।

अप्रार्थी

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य
श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता
श्री कुलवन्तसिंह संधू, अधिवक्ता, अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक : 18/04/2022

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्रांक प.11 (विविध) शिका0/राम/2009 दिनांक 16-11-09 के द्वारा अप्रार्थी सुखविन्द्रसिंह जटसिख के विरूद्ध 7 वी सैकेण्ड तहसील श्रीकरणपुर के परिवार की सम्पति की जॉच करवा कर सीलिंग सीमा से अधिक सम्पति को बहक सरकार लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में दिनांक 24-11-2009 को प्राप्त हुआ।

प्रार्थना पत्र के सक्षेंप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जो प्यारासिंह पुत्र नन्दसिंह के गोद गया हुआ है तथा प्यारासिंह का देहान्त हो चुका है, उसकी पत्नी परविन्द्रकौर जीवित है। सुखविन्द्रसिंह के एक पुत्री शिनु करीब 8 साल की है जो माता पिता के साथ रहती है। अप्रार्थी सुखविन्द्रसिंह को अपने खोलायत पिता प्यारासिंह पुत्र नंदसिंह से विरासतन भूमि प्राप्त हुई है तथा कुछ सम्पति अपने प्राकृतिक पिता जीतसिंह से प्राप्त हुई है तथा कुछ सम्पति सुखविन्द्रसिंह की पत्नी के नाम से दर्ज है।इसके अलावा कुछ बेनामी सम्पति भी सुखविन्द्रसिंह द्वारा बनाई गई है। प्यारासिंह पुत्र नंदसिंह (खोलायत पिता सुखविन्द्रसिंह), सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम निम्न भूमि है :-

चक नं0	खाता सं0	कुल रकबा	हिस्सा
8वीकरणपुर	8/9	6-323 है0	4-132 है0
,,	44/49	3-350 है0	3-350 है0
,,	45/43	1-391 है0	1-391 है0
3 यू	43/41	7-866 है0	0-354 है0
,,	40/85	0-025 है0	0-025 है0
,,	79/66	1-518 है0	0-253 है0
,,	76/69	5-601 है0	0-759 है0
,,	80/48	0-278 है0	0-278 है0
3 यू	43/41	7-739 है0	3-882 है0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर
[Type text]

Scanned with CamScanner

परविन्द्रकौर पत्नी सुखविन्द्रसिंह के नाम से निम्न भूमि बताई है:

3 यू	38/04	2–530 है0	100 हिस्सा
,,	40/37	1–265 है0	1–265 है0

उपरोक्त भूमि के अलावा चक 8 वी के मु0 नं0 19 की 1बीघा भूमि दर्ज है। चक 6 वी व 3 यू में बेनामी रकबा दर्ज है। सुखविन्द्रसिंह 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही रख सकता है। हंसराज पुत्र मखनसिंह खाता सं0 43/41 में 2.757 हिस्सा है जो कि प्यारासिंह पुत्र नंदसिंह के नाम रजिस्ट्री है। सीलिंग सीमा के कारण इंतकाल दर्ज नहीं है।कब्जा सुखविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह का है। इस प्रकार निवेदन किया है कि सीलिंग में रकबा अधिक है।

शिकायत प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसील से भूमि एवं परिवार के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी को सबूत एवं साक्ष्य का समुचित असर प्रदान किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड को रेकार्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी ने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थी जीतसिंह का प्राकृतिक पुत्र है तथा अपने ताया प्यारासिंह के गोद गया हुआ है। अप्रार्थी की पत्नी का नाम जसविन्द्रकौर है। परविन्द्रकौर अप्रार्थी की पत्नी नहीं है, अन्य औरत है। परविन्द्रसिंह की कृषि भूमि को यदि अधिग्रहण किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी के नाम से जो अलग–2 खातों व चकों में रकबा दर्ज है, उसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

चक नं0	खाता सं0	मु0 नं0	हिस्सा
8वीकरणपुर	8/9	36	4–132 है0
,,	45/43	41	1–391 है0
3 यू	43/41	40, 41	0–354 है0
,,	40/85	40	0–025 है0
		कुल रकबा	5–902 है0

निम्न रकबा सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम है :–

3 यू	43/41	40,41	3–882 है
,,	79/66	32	0–253 है0
,,	76/69	45	0–759 है0
,,	80/48	41	0–278 है0
		कुल रकबा	5–172 है0

उपरोक्त सारिणी अनुसार उक्त दोनों चकों में 11–074 है0 रकबा है। चक 8 वी के खाता सं0 8/9 में 0.253 है0 गैरमुमकिन खाला, चक 3 यू के खाता सं0 43/41 में 0.127 है0 गैर मुमकिन खाला, चक 3 यू के खाता सं0 79/66 में 0.025 है0 गैरमुमकिन खाला, चक 3 यू के खाता सं0 76/69 में 0.240 है0 गैरमुमकिन खाला व इस खाता में 0.253 है0 बारानी भूमि दर्ज है। इस प्रकार कुल 0.645 है0 गैरमुमकिन

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

[Type text]

Scanned with CamScanner

खाला व 0.169 है0 बरानी भूमि को नहरी में परिवर्तित करने पर 0.805 है0 रकबा कम करने योग्य है जो कुल रकबे में कम करने पर 10.269 है0 रकबा अप्रार्थी के धारण में शेष रहता है जो सीलिंग सीमा से कम है। अप्रार्थी के पास और कोई रकबा नहीं है जिसका इंतकाल न किया गया हो। अप्रार्थी ने चक 8 वी खाता सं0 44/49 का रकबा 3.350 है0 पहले ही जरिये विक्रय पत्र मार्च 2020 को बेचान किया जा चुका है जो खरीददार के धारण में है। अप्रार्थी के पिता जीतसिंह व खोलायत पिता प्यारासिंह के पास सीलिंग सीमा से कम रकबा रहा है इसलिए उनके विरूद्व को सीलिंग की कार्यवाही चलाने की आवश्यकता नहीं हुई। गंग कैनाल का सिचॉई घनत्व 60 प्रतिशत है। यदि 100 बीघा जमीन हो तो 60 बीघा नहरी व 40 बीघा बारानी भूमि मानी जायेगी। बारानी भूमि को नहरी में परिवर्तित करने पर 40/3 = 13 बीघा इस प्रकार कुल 60+13= 73 बीघा भूमि यानि 100 बीघा आराजी जिसका सिचॉई घनत्व 60 प्रतिशत है वह 73 बीघा के बराबर मानी जायेगी। अप्रार्थी के परिवार में अप्रार्थी स्वंय, उसकी पत्नी जसविन्द्रकौर, बेटी सरीना मान व पुत्र मनराज मान सदस्य हैं। सन् 1992 में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में किये गये संशोधन के उपरांत अप्रार्थी की पुत्री सरीना मान व पुत्र मानराज मान कोपासनर हैं। दोनों अलग-2 परिवार की यूनिट कायम करते हैं तथा वह भी अपना हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। शिकायतकर्ता अप्रार्थी के नैसर्गिक पिता व खोलायत पिता से रंजिश रखता है। शिकायत झूठी दर्ज कराई गई है। परविन्द्रकौर व सुखविन्द्रसिंह मिन अप्रार्थी से अलग कोई व्यक्ति है। इनके रकबा को अप्रार्थी के रकबा के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार निवेदन किया है कि शिकायत झूठी व गलत तथ्यों पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि शिकायत में वर्णित अनुसार अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। अतः अधिग्रहण की कार्यवाही की जावे।

शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर अपनी बहस आधारित करते हुए कहा कि शिकायत प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है, जो अधिग्रहण की जानी चाहिये।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है तथा कहा है कि अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है। शिकायत झूठी तथा गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि परविन्द्रकौर पत्नी सुखविन्द्रसिंह अलग व्यक्ति है, इनके द्वारा धारण की जाने वाली भूमि को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी की भूमि के साथ क्लब नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में सुखविन्द्रसिंह के राशनकार्ड सं0 00144 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसके पिता का नाम गुरदेवसिंह व पत्नी का नाम परविन्द्रकौर अंकित है। इसी प्रकार राशन कार्ड सं0 2के/14 सुखविन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह के नाम से है, जिसमें पत्नी परविन्द्रकौर का नाम कम सं0 2 पर अंकित है, दो पुत्रियॉ कमशः रमनदीप, राजवीर एवं पुत्र अमनदीप का नाम अंकित है। परविन्द्रकौर के भामाशाह के कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें पति का नाम सुखविन्द्रसिंह अंकित है तथा आधार नं0 7995 3752 9553 अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी सुखविन्द्रसिंह की पत्नी जसविन्द्रकौर है न कि परविन्द्रकौर । परविन्द्रकौर एक अन्य महिला है, जिसका अप्रार्थी सुखविन्द्रसिंह पुत्र प्यारासिंह से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए परविन्द्रकौर द्वारा धारण की जाने वाली भूमि को सुखविन्द्रसिंह की भूमि में शामिल कर सीलिंग सीमा निर्धारण के लिए गणना नहीं की जायेगी।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि गैरमुमकिन भूमि को सीलिंग सीमा निर्धारण करने के लिए गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1988 पेज 664 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

Raj. Tenancy Act, Section 5[24] Ghair mumkin rasta [gova] or ghair mumkin pahar, etc.do not fall within of Govt. unoccupied agricultural land.

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में गैरमुमकिन कृषि भूमि को कुल भूमि में शामिल कर सीलिंग सीमा निर्धारण हेतु गणना नहीं की जायेगी।

जहॉ तक अप्रार्थी के पास भूमि होने का प्रश्न है, तहसीलदार, श्री करणपुर की रिपोर्ट कमांक भू0अ0/10/1980 दिनांक 25-10-10 सुखविन्द्रसिंह पुत्र प्यारासिंह के नाम चक 8 वी में दिनांक 25-2-58, 9-12-59 ,1-4-66, 26-9-70, 1-1-73 को कोई भूमि नहीं थी। सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम चक 8 वी में उक्त तिथियों को कोई भूमि नहीं थी लेकिन वर्तमान में चक 8 वी में 11-00 बीघा भूमि बताई गई है तथा परिवार में स्वंय पत्नी जसविन्द्रकौर एवं पुत्री सरीना तीन सदस्य बताए गए हैं।

तहसीलदार, श्रीकरणपुर की रिपोर्ट कमांक 3898 दिनांक 28-9-18 के अनुसार चक 8 वी एवं 3 यू में प्यारासिंह पुत्र नंदसिंह का हिस्सा 8.873 है0 है तथा चक 3 यू में सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह का हिस्सा 5.171 है0 है। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि सुखविन्द्रसिंह पुत्र प्यारासिंह व परविन्द्रकौर पत्नी सुखविन्द्रसिंह के नाम प0 म0 8 वी में तथा परविन्द्रकौर के नाम से चक 3 यू में भूमि दर्ज नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

इसी प्रकार, तहसीलदार, रायसिंहनगर की नवीनतम रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2020/10526 दिनांक 12–10–2020 के अनुसार पटवारी हल्का 8 वी सुखविन्द्रसिंह पुत्र प्यारासिंह के परिवार के नाम भूमि दिनांक 25–2–58 व 9–12–59 को 36 बीघा 1 बिस्वा भूमि थी। दिनांक 1–4–66 को 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि रही, भूमि कम होने का कारण – माफीदारी में अलॉट भूमि खारिज होने के कारण कम हुई है। दिनांक 26–9–70 को 16 बीघा 06 बिस्वा भूमि बताई गई है। कम होने का कारण – टी सी अलॉट भूमि खारिज होने के कारण कम हुई है। दिनांक 1–1–73 को 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि ही रही। सम्वत् 2037–40 में 29 बीघा 11 बिस्वा भूमि हो गई, भूमि बढ जाने का कारण पुनः अलॉटमैन्ट होना बताया है। जमाबंदी सम्वत् 2037–40 में 8.873 है0 नहरी भूमि होना बताया है। प्यारासिंह द्वारा 5.10 बीघा भूमि खरीद करने के कारण भूमि बढ़ी है। सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम 0.127 है0 भूमि है। सुखविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह व सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम 5.521 है0 नहरी व 0.127 है0 भूमि है। प्यारासिंह की भूमि का विरासतन इंतकाल सुखविन्द्रसिंह के नाम दर्ज हो चुका है, जिसमें से सुखविन्द्रसिंह ने 3.350 है0 का बेचान कर दिया हैं। बेचान की गई भूमि के संबंध पंजीकृत बैयनामा की प्रतियॉ एवं खरीददार के नाम की जमाबंदियॉ की प्रतियॉ प्रस्तुत हुई हैं जिसमें खरीददार के नाम से भूमि का अंकन है। गोदनामा की प्रति भी प्रस्तुत हुई है, जिससे अप्रार्थी के गोद जाने के तथ्य की पुष्टि होती है।

इस प्रकार, स्टेट की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि चक 8 वी में प्यारासिंह पुत्र नन्दसिंह के नाम संवत् 2070–73 में 8.873 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्यारासिंह पुत्र नंदसिंह की मृत्यू होने पर जरिये विरासतन इंतकाल सं0 494 दिनांक 11–6–19 द्वारा उक्त 8.873 है0 भूमि सुखविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह के नाम दर्ज हो गई जिसमें से जरिये इंतकाल सं0 499 दिनांक 12–12–2019 को जरिये बैयनामा बलकरणसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख के नाम 1.770 है0 व भजन लाल पुत्र मनी राम जाति मेघवाल के नाम 1.580 है0 दर्ज हो गई। कुल 3.350 है0 भूमि का विकय दिनांक 12–12–19 को हो गया है। बेचान के बाद वर्तमान में चक 8 वी में सुखविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह के नाम 5. 521 है0 व सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम 0.127 है0 भूमि है। इस प्रकार वर्तमान में कुल भूमि चक 8 वी में बेचान की गई भूमि के बाद 5. 648 है0 भूमि है।

जहॉ तक चक 3 यू में अप्रार्थी के धारण में भूमि होने का प्रश्न है, दिनांक 25–2–58 से 1–1–73 तक प्यारासिंह पुत्र नंदसिंह के नाम से कोई भूमि नहीं थी। संवत् 2072 से 2075 में चक 3 यू में प्यारासिंह पुत्र नंदसिंह के नाम 0.379 है0 नहरी भूमि मय खाल एवं इसी सवंत् में सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम 5.172 है0 नहरी मय खाल भूमि थी। रिपोर्ट में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि चक 3 यू में

उक्त समस्त 5.172 है0 भूमि सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है, जिसका इंतकाल सन् 1999 से 2005 के दौरान दर्ज किये गये हैं। सुखविन्द्रसिंह के परिवार में कुल चार सदस्य बताये गये हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुखविन्द्रसिंह अप्रार्थी का जन्म वर्ष 1976 में हुआ है।

इस प्रकार, उपरोक्त समस्त रिपोर्टस एवं रेकार्ड में आये तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह स्वंय के नाम से चक 3यू में 5.172 है0 नहरी व चक 8 वी में सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम 0.127 है नहरी व सुखविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह के नाम 5.521 है0 नहरी भूमि दर्ज है। इस प्रकार कुल भूमि 10.820 है0 नहरी भूमि होना प्रमाणित होती है जिसमें से मुताबिक रिपोर्ट एवं जमाबंदी के 0.805 गैरमुमकिन एवं खाला की भूमि है, जिसे कुल भूमि में कम करने पर शेष 10.015 है0 नहरी भूमि रहती है जो 40–00 बीघा नहरी भूमि के बराबर है। उक्त समस्त भूमि वर्तमान में है परिवार में चार सदस्य हैं। नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 100 प्रतिशत सिचॉई के घनत्व वाली 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि धारण करने का अप्रार्थी अधिकारी है जबकि अप्रार्थी के पास वर्तमान में मात्र 40–00 बीघा नहरी भूमि है, जो सीलिंग सीमा से कम है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मेरे विन्रम मत में अप्रार्थी के धारण में वर्तमान में केवल 40–00 बीघा नहरी भूमि है जबकि वह नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है। भूमि सीलिंग सीमा से कम होने के कारण अप्रार्थी के खिलाफ सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र सारहीन होन से कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 18/4/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 ज़िला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner